



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112025-267590
CG-DL-E-12112025-267590

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4955]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2025/कार्तिक 21, 1947

No. 4955]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2025/KARTIKA 21, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2025

का.आ. 5110(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले में इनर रिंग रोड के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 65.066 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एसएलएओ प्रयागराज को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले में इनर रिंग रोड के कि.मी. 0.000 से कि.मी.65.066 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: इलाहाबाद		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: करछना					
गांव का नाम: अमिलिया					
1	388	निजी (निजी)	कृषि	0.227 (हेक्टेयर)	0.227
2	431	निजी (निजी)	कृषि	0.0738 (हेक्टेयर)	0.0738
3	432/609	निजी (निजी)	कृषि	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
4	469	सामान्य (निजी/ सरकारी)	अन्य	0.2122 (हेक्टेयर)	0.2122
5	471	निजी (निजी)	कृषि	0.1368 (हेक्टेयर)	0.1368
6	472	सरकारी (सरकारी)	गैर कृषि	0.0152 (हेक्टेयर)	0.0152
7	516	निजी (निजी)	कृषि	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
8	528	सामान्य (निजी /सरकारी)	कृषि/ गैर कृषि	0.0912 (हेक्टेयर)	0.0912
9	530	सामान्य (निजी/ सरकारी)	कृषि/ गैर कृषि	0.156 (हेक्टेयर)	0.156
10	537	निजी (निजी)	कृषि	0.0436 (हेक्टेयर)	0.0436
11	538	निजी (निजी)	कृषि	0.086 (हेक्टेयर)	0.086
12	539	निजी (निजी)	कृषि	0.0988 (हेक्टेयर)	0.0988
गांव का नाम: पालपुर					
13	368	सरकारी (सरकारी)	अकृषि	0.0418 (हेक्टेयर)	0.0418
14	370	निजी (निजी)	कृषि	0.0984 (हेक्टेयर)	0.0984
15	371	निजी (निजी)	कृषि	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
16	387	निजी (निजी)	कृषि	0.038 (हेक्टेयर)	0.038
17	389	निजी (निजी)	कृषि	0.2377 (हेक्टेयर)	0.2377
18	390	निजी (निजी)	कृषि	0.0236 (हेक्टेयर)	0.0236
19	392	निजी (निजी)	कृषि	0.1217 (हेक्टेयर)	0.1217
20	393	निजी (निजी)	कृषि	0.1005 (हेक्टेयर)	0.1005
21	395	निजी (निजी)	कृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03

22	417	सरकारी (सरकारी)	अकृषि	0.0492 (हेक्टेयर)	0.0492
23	443	निजी (निजी)	कृषि	0.074 (हेक्टेयर)	0.074
Total					1.9695

[फा. सं. 11015/IRR/PHASE-II/DPR/PRYJ/2025-26/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th November, 2025

S.O. 5110(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Inner Ring Road in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 65.066 in the district of PRAYAGRAJ in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SLAO Prayagraj in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Ring Road in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 65.066 () in the district of PRAYAGRAJ in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: ALLAHABAD		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Karchhana					
Village: Amiliya					
1	388	Private	Agriculture	0.227 (Hectare)	0.227
2	431	Private	Agriculture	0.0738 (Hectare)	0.0738
3	432/609	Private	Agriculture	0.002 (Hectare)	0.002
4	469	Common (Private / Government)	common	0.2122 (Hectare)	0.2122
5	471	Private	Agriculture	0.1368 (Hectare)	0.1368
6	472	Government	Non Agriculture	0.0152 (Hectare)	0.0152
7	516	Private	Agriculture	0.008 (Hectare)	0.008
8	528	Common (Private/ Government)	Agriculture/ Non-Agriculture	0.0912 (Hectare)	0.0912
9	530	Common (Private/ Government)	Agriculture/ Non-Agriculture	0.156 (Hectare)	0.156

10	537	Private	Agriculture	0.0436 (Hectare)	0.0436
11	538	Private	Agriculture	0.086 (Hectare)	0.086
12	539	Private	Agriculture	0.0988 (Hectare)	0.0988
Village: Palpur					
13	368	Government	Non Agriculture	0.0418 (Hectare)	0.0418
14	370	Private	Agriculture	0.0984 (Hectare)	0.0984
15	371	Private	Agriculture	0.004 (Hectare)	0.004
16	387	Private	Agriculture	0.038 (Hectare)	0.038
17	389	Private	Agriculture	0.2377 (Hectare)	0.2377
18	390	Private	Agriculture	0.0236 (Hectare)	0.0236
19	392	Private	Agriculture	0.1217 (Hectare)	0.1217
20	393	Private	Agriculture	0.1005 (Hectare)	0.1005
21	395	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
22	417	Government	Non Agriculture	0.0492 (Hectare)	0.0492
23	443	Private	Agriculture	0.074 (Hectare)	0.074
Total					1.9695

[F. No. 11015/IRR/PHASE-II/DPR/PRYJ/2025-26/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director